

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून में सहसपुर विकासखण्ड में पी.एम.जी.एन.वाई के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव मितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लं०-10.400 किमी०) के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रस्ताव/प्राक्कलन।

प्रस्तावित कार्य हेतु प्रत्यावर्तित आरक्षित वनभूमि एवं सिविल भूमि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत स्थित है।

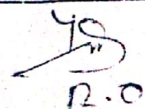
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का नाम-ग्राम-खारसी सिविल (चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत)

नयनित क्षेत्र की जी०पी०एस० लोकेशन N. 30° 43' 35.42" E. 77° 56' 41.20" क्षेत्र-7.056 है० 3275 2187 की०

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	है०	7.056	120	846.72
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	है०	7.056	1578	11134.37
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिंग) प्र० है० 84 घ०मी० औसत	घ०मी०	300	291	87300.00
4	कन्टूर फरों कार्य (प्रति है० 500 र०मी०) का खुदान	र०मी०	300	10	3000.00
5	गद्दा खुदान (0.30×0.30×0.45)	गद्दा	14112	7	98784.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	है०	7.056	4.85	58200.00
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	पौध	14112	5.93	83684.16
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	है०	7.056	489	3450.38
9	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य :- प्रति है०/सं०	है०	7.056	9150	64562.40
	योग-प्रथम चरण				410962.03
	द्वितीय चरण				
1	गद्दा भरान कार्य (0.30×0.30×0.45)	गद्दा	14112	1.3	18345.60
2	कन्टूर फरों में बीज की बुआई (प्रति है० 500 र०मी०)		3000	0.8	2400.00
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	पौध	14112	1.05	14817.60
4	पौध दुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगी जड़ तथा 75 प्रतिशत बैग पौध रोपण तथा 25 किमी० वाहन व 3.00 किमी० सिरबोझा औसत पर)	प्र०सै०पौध प्र०किमी०	14112	6.50 / सै० / किमी०	214500.00
5	रोपण एवं थावलाबंदी	प्र०सै०पौध	14112	3	42336.00
6	निराई गुड़ाई व मल्विंग (दो बार)	प्र०सै०पौध	14112	2	28224.00
7	खाद व दवा पर व्यय	प्र०सै०पौध	14112	16	2257.92
8	वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय 9 माह का (10 है०) 3 श्रमिक 9 माह	सं०		6183	166941.00
9.1	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	है०	7.056	367	2589.55
9.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	है०	7.056	272	1919.23
9.3	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	है०			

45
R.O

12	अ-प्रशिक्षण	है0	7.056	577	4071.31
13	ब-प्रोत्साहन	है0	7.056	289	2039.18
	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीनसीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	है0	7.056	1327	9363.31
15	कन्दूर खाइयों में घास स्लिप का रोपण बुलान सहित		7.056	883	6230.45
	योग-द्वितीय चरण				516035.16
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				926997.19
	तृतीय चरण				
19	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	7.056	8244	58169.66
20	20.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	है0	7.056	367	2589.55
	20.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	है0	7.056	277	1954.51
	20.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ-प्रशिक्षण	है0	7.056	577	4071.31
	ब-प्रोत्साहन	है0	7.056	289	2039.18
	योग-तृतीय चरण				68824.22
	चतुर्थ चरण				
	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	7.056	8244	58169.66
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	है0	7.056	367	2589.55
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी0 पट्टी साफ करना	है0	7.056	277	1954.51
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ-प्रशिक्षण	है0	7.056	577	4071.31
	ब-प्रोत्साहन	है0	7.056	289	2039.18
	योग-चतुर्थ चरण				68824.22
	पंचम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
	षष्ठम वर्ष				
	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22


 R.C

सप्तम वर्ष				
रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
अष्टम वर्ष				
रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
नवम वर्ष				
रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
दशम वर्ष				
रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव (उक्तानुसार समस्त कार्य)	है0	7.056	9754	68824.22
योग				412945.34
कुल योग				1477590.98
या				1477300.00

नसूली वर्ष 2016-17 एवं रोपण वर्ष 2017-20 हेतु प्रति एक हेक्ता
 में तिथिरीत दर से 23030220/₹ - 46,25,016/-

प्रमाणित वनाधिकारी
 चक्रवाता वन प्रभाग
 कालसी

प्रमाणित वनाधिकारी
 चक्रवाता वन प्रभाग
 कालसी

or say as Per Present fin. year
 2018-19 Rs. 27866520/₹
 7.056 ₹ @ 278665/- = 19,66,260/-